



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29022020-216479  
CG-DL-E-29022020-216479

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 776]  
No. 776]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 25, 2020/फाल्गुन 6, 1941  
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 25, 2020/PHALGUNA 6, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2020

**का.आ. 849(अ).**—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 143 की उपधारा (11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के अधीन गठित राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के साथ परामर्श के पश्चात्, सं. का.आ. 1228(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 को अधिक्रांत करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया या करने से लोप किया गया है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ.**—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 है।
- (2) यह प्रत्येक कंपनी को, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) [इसे इसमें इसके पश्चात् कंपनी अधिनियम कहा गया है] की धारा 2 के खंड (42) में यथापरिभाषित कोई विदेशी कंपनी भी शामिल है, सिवाय -
  - (i) एक बैंककारी कंपनी जैसा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (ग) में यथापरिभाषित है।
  - (ii) एक बीमा कंपनी जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) में यथा परिभाषित है।
  - (iii) कंपनी जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अधीन परिचालन का अनुज्ञप्ति दिया गया है।

- (iv) एकल व्यक्ति कंपनी जो कंपनी अधिनियम की धारा 2 के खंड (62) में और लघु कंपनी जो कंपनी अधिनियम की धारा 2 के खंड (85) में यथापरिभाषित है; और
- (v) एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो पब्लिक कंपनी की अनुषंगी या नियंत्री कंपनी नहीं है जिसकी तुलनपत्र तारीख को प्रदत्त पूंजी और निधियां और अधिक्य एक करोड़ से अधिक नहीं है जिसके किसी बैंक या वित्तीय संस्था में वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय पर कुल उधार एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और उसका कुल राजस्व जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में बताया गया है (जिसमें छोड़े गए कार्यचालन से प्राप्त राजस्व भी शामिल) वित्तीय विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।

(3) ये राजपत्र में इनके प्रकाश की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में पैरा 3 और पैरा 4 में विनिर्दिष्ट मामले शामिल होंगे.** - लेखापरीक्षक द्वारा तैयार की गई प्रत्येक रिपोर्ट कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अधीन प्रत्येक कंपनी के लेखों जिसकी लेखापरीक्षा उसके द्वारा की जाती है जिस पर यह आदेश वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल, 2019 से या इसके पश्चात् प्रारंभ होता है पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों के अतिरिक्त जैसा लागू हो अंतर्विष्ट होंगे:

परंतु यह आदेश पैरा 3 के खंड (xxi) के सिवाय समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट लागू नहीं होगा।

**3. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले मामले.** - कंपनी के लेखों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जिस पर यह आदेश लागू होता है में निम्नलिखित मामले पर एक विवरण शामिल होगा, यथा :-

- (i) (क) (अ) ..... क्या कंपनी पूर्ण विशिष्टियों को दर्शाने वाला उचित अभिलेखों का रख-रखाव कर रही है, जिसमें परिणात्मक व्यौरा और संपत्ति की स्थिति, संयंत्र और उपस्कर शामिल हैं;

(ब) क्या कंपनी अमूर्त आस्तियों के पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेखों का रख-रखाव कर रही है;

(ख) क्या प्रबंधन द्वारा उचित समय अंतराल पर इन संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का वास्तविक सत्यापन किया गया है, क्या ऐसे सत्यापन के पश्चात् कोई महत्वपूर्ण कमी की सूचना प्राप्त हुई थी और यदि हां, तो क्या उसका लेखाबहियों में समुचित रूप से उल्लेख किया गया है;

(ग) क्या इन सभी अचल संपत्तियों (ऐसी संपत्तियों से भिन्न जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा संबंधी करारों को पट्टेदार के पक्ष में सम्यक् रूप से निष्पादित किए गए हैं) को कंपनी के नाम की वित्तीय विवरणियों में प्रकट किया गया है, यदि नहीं, तो इसका विवरण नीचे दिए गए प्ररूप में प्रदान करें :-

| संपत्ति का व्यौरा | कुल मूल्य | किसके नाम है | क्या प्रवर्तक निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी हैं | रखी गई अवधि - जहां उचित हो रेंज सूचित करें | कंपनी* के नाम पर न होने का कारण    |
|-------------------|-----------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                   |           |              |  |  | *यदि विवाद हो, तो वह भी सूचित करें |

(घ) क्या कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (आस्तियां प्रयोग करने के अधिकार सहित) या अमूर्त आस्तियों या दोनों के मूल्य का वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो क्या पुनर्मूल्यांकन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित है; परिवर्तन की राशि बताएं, यदि परिवर्तन संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों या अमूर्त आस्तियों की प्रत्येक की प्रत्येक श्रेणी के विशुद्ध मूल्य का 10% या अधिक हो;

(ङ) क्या कंपनी के विरुद्ध बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और इसके अधीन बने नियमों के अधीन किसी बेनामी संपत्ति को धारण करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है या लंबित है, यदि हां, तो क्या कंपनी ने अपनी वित्तीय विवरणियों में विवरण समुचित रूप से प्रकट किया है;

- (ii) (क) क्या प्रबंधन द्वारा समुचित अंतराल पर सूची का वास्तविक सत्यापन किया गया है और क्या, लेखापरीक्षक की राय में, प्रबंधन द्वारा ऐसे सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया समुचित है; क्या सूची की प्रत्येक श्रेणी के लिए कुल मिलाकर 10% या इससे अधिक किन्हीं कमियों को नोटिस किया गया है और यदि हां, तो क्या इन्हें लेखाबहियों में समुचित रूप से उल्लेख किया है;

- (ख) क्या वर्ष में किसी भी अवधि के दौरान, कंपनी के वर्तमान आस्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ के आधिक्य में कार्यकरण पूंजी-सीमाएं स्वीकृत की गई हैं; क्या कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों में फाइल की गई तिमाही विवरणियां या रिटर्न कंपनी के लेखा-बहियों के अनुसार हैं, यदि नहीं, तो विवरण दें;
- (iii) क्या वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारियों या किन्हीं अन्य पक्षकारों को प्रत्याभूत या अप्रत्याभूत प्रदान की है या ऋण या ऋणों के रूप में अग्रिम स्वीकृत किए हैं, के रूप में निवेश किया है, यदि हो, -
- (क) क्या वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी अन्य इकाई (उन कंपनियों पर लागू नहीं जिनका मूल कारबार ऋण देना है) को ऋण प्रदान किए हैं या ऋणों के रूप में अग्रिम प्रदान किए हैं या प्रत्याभूति की है या प्रतिभूति दी है, यदि हो, तो बताएं -
- (अ) अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों को वर्ष के दौरान दी गई कुल राशि और ऐसे ऋणों या अग्रिमों और प्रत्याभूतियों या प्रतिभूतियों के संबंध में तुलन-पत्र की तारीख को शेष बकाया राशि;
- (ब) अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों को वर्ष के दौरान दी गई कुल राशि और ऐसे ऋणों या अग्रिमों और प्रत्याभूतियों या प्रतिभूतियों के संबंध में तुलन-पत्र की तारीख को शेष बकाया राशि;
- (ख) क्या किए गए निवेश, प्रदत्त प्रत्याभूतियों, दी गई प्रतिभूति और सभी ऋणों और ऋणों के रूप में दिए गए अग्रिमों की स्वीकृति के निबंधन एवं शर्तें तथा प्रदत्त प्रत्याभूतियां कंपनी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं है;
- (ग) ऋणों और ऋणों के रूप में अग्रिमों के संबंध में, क्या मूल राशि के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान की अवधि निर्धारित की गई है और क्या पुनर्भुगतान या रसीदें नियमित हैं;
- (घ) यदि राशि अतिदेय है, नब्बे दिन से अधिक के लिए अतिदेय की कुल राशि बताएं, तथा क्या कंपनी द्वारा मूल राशि और ब्याज की वसूली के लिए सुसंगत उपाय किए गए हैं;
- (ङ) क्या स्वीकृत किया गया कोई ऋण या ऋण के रूप में अग्रिम जो वर्ष के दौरान देय हो गया हो, को उन्हीं पक्षों को दिए गए वर्तमान ऋणों के बकाया को निपटाने के लिए नवीकृत या विस्तारित किया गया है या गए ऋण प्रदान किए गए हैं, यदि हां, तो ऐसे नवीकृत या विस्तारित किए गए या नए ऋण से निपटाए गए ऋणों की बकाया कुल राशि बताएं तथा वर्ष के दौरान प्रदान किए गए कुल ऋण या ऋण के रूप में दिए गए अग्रिम की कुल राशि का प्रतिशत [उन कंपनियों पर लागू नहीं जिनका मूल कारबार ऋण देना है];
- (च) क्या कंपनी ने मांग पर पुनर्भुगतान के योग्य या पुनर्भुगतान की कोई शर्त या अवधि निर्धारित किए बिना ऋण या ऋणों के रूप में अग्रिम प्रदान किए हैं, यदि हां, तो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (76) में यथा-परिभाषित प्रवर्तकों, संबंधित पक्षों को प्रदान किए गए कुल ऋण, प्रदत्त कुल ऋण राशि, उसका प्रतिशत बताएं;
- (iv) ऋणों, निवेशों, प्रत्याभूतियों और प्रतिभूति के संबंध में, क्या कंपनी अधिनियम की धारा 185 और धारा 186 का अनुपालन किया गया है, यदि नहीं, तो उसका ब्यौरा दें;
- (v) कंपनी द्वारा स्वीकार की गई जमाओं या जमाओं के रूप में राशियों के संबंध में, क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निदेश जारी किए गए और कंपनी अधिनियम की धारा 73 से धारा 76 या किन्हीं अन्य संगत उपबंधों और इसके अंतर्गत बने नियमों के प्रावधानों, जहां लागू हों, का अनुपालन किया गया है, यदि नहीं, तो ऐसे उल्लंघनों की प्रकृति बताई जाए; यदि कंपनी विधि बोर्ड या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी न्यायालय या किसी अन्य अधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है, क्या उसका अनुपालन किया गया है या नहीं;
- (vi) क्या कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार ने लागत अभिलेखों के अनुरक्षण को विनिर्दिष्ट किया है और क्या ऐसे लेखे एवं अभिलेख बनाए गए और उनका अनुरक्षण किया गया।
- (vii) (क) क्या कंपनी अविवादित कानूनी बकाया जिसमें वस्तु और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, उपकर और कोई अन्य कानूनी बकाया उचित प्राधिकारियों को जमा कराने में नियमित है और यदि नहीं तो कानूनी बकाया के एरियर की राशि संबंधित

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस के अनुसार उनके अदा करने की तारीख से छह महीनों से अधिक के लिए दर्शाया जाए।

(ख) जहां, उपखंड (क) में निर्दिष्ट सांविधिक देय किसी विवाद के कारण जमा नहीं कराए गए हैं, तो निहित राशि और फोरम जहां विवाद लंबित है उसका वर्णन किया जाएगा (संबंधित विभाग को केवल अभ्यावेदन देने को विवाद नहीं माना जाएगा)।

- (viii) क्या खाता बही में दर्ज नहीं किए गए किन्हीं संव्यवहारों को आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर निर्धारणों में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित और प्रकट किया गया है, यदि हां, क्या पूर्व में अनभिलिखित आय वर्ष के दौरान खाता बही में समुचित रूप से दर्ज कर ली गई है;
- (ix) (क) क्या कंपनी ने किसी ऋणदाता के लिए ऋणों के पुनर्भुगतान या अन्य उधारी या उसके ब्याज के भुगतान में चूक की है, यदि हां, चूक की अवधि और धनराशि निम्नलिखित प्रपत्र के अनुसार रिपोर्ट की जानी है:

| ऋण प्रतिभूतियों सहित उधारी का स्वरूप | ऋणदाता का नाम*  | देय तारीख को भुगतान नहीं की गई धनराशि | क्या मूलधन या ब्याज है | विलंब या अदत्त दिनों की संख्या | टिप्पणियां, यदि कोई हो |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
|                                      | *बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सरकार के संबंध में चूक के मामले में प्रदत्त किए जाने वाले ऋणदातावार ब्यौरा |                                       |                        |                                |                        |

(ख) क्या कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्था या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझ कर चूककर्ता घोषित किया गया है;

(ग) क्या सावधि ऋण उस प्रयोजनार्थ लागू थे जिसके लिए ऋण लिए गए थे; यदि नहीं, इस प्रकार अन्यथा लगाए गए ऋण की धनराशि और प्रयोजन जिसके लिए जिसका उपयोग किया गया है, की सूचना दी जा सकेगी;

(घ) क्या अल्पावधिक आधार पर जुटाई गई निधियों को दीर्घावधिक प्रयोजनों के लिए उपयोग कर लिया गया है; यदि हां, प्रकृति और धनराशि निर्दिष्ट करें;

(ङ) क्या कंपनी ने किसी इकाई या व्यक्ति से इसकी अनुपंगियों, सहयोगियों या संयुक्त उपक्रमों के दायित्व के कारण या पूरा करने के लिए कोई धनराशि ली है; यदि हां, तो प्रत्येक मामले में ऐसे संव्यवहार और रकम की प्रकृति के साथ उसका ब्यौरा;

(च) क्या कंपनी ने वर्ष के दौरान इसकी अनुपंगियों, संयुक्त उपक्रमों या सहयोगी कंपनियों में धारित प्रतिभूतियों की गिरवी पर ऋण लिए हैं;

- (X) (क) क्या वर्ष के दौरान प्रारंभिक लोक प्रस्ताव या अतिरिक्त लोक प्रस्ताव (ऋण लिखतों सहित) की रीति द्वारा जुटाए गए धन को उन प्रयोजनों में लगाया गया था जिनके लिए वे जुटाए गए हैं, यदि नहीं, तो विलंब या चूक और तत्पश्चात् परिशुद्धि सहित ब्यौरा, यदि कोई हो, जैसा कि लागू हो, सूचित किया जाए;

(ख) क्या कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचरों (पूर्ण, आंशिक या वैकल्पिक परिवर्तनशील) का कोई अधिमानी आबंटन या निजी प्लेसमेंट किया है और यदि हां, तो क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और धारा 62 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है और जुटाई गई निधियां उन प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई है जिनके लिए निधियां जुटाई गई थी, यदि नहीं, तो निहित धनराशि के संबंध में तथा अपालन की प्रकृति का ब्यौरा प्रस्तुत करें;

- (xi) (क) क्या वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी कपट या कंपनी से किसी कपट की जानकारी या सूचना है; यदि हां, तो उसकी प्रकृति और शामिल धनराशि निर्दिष्ट करें;

(ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अधीन कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अधीन यथाविहित प्ररूप एडीटी-4 में लेखापरीक्षकों द्वारा केंद्रीय सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट फाइल की गई है;

- (ग) क्या लेखापरीक्षक ने कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान प्राप्त, सचेतक की शिकायतों यदि कोई हो पर विचार किया है;
- (xii) (क) क्या निधि कंपनी ने दायित्व को पूरा करने के लिए 1:20 के अनुपात में निक्षेपों के लिए निवल स्वामित्व निधियों का अनुपालन किया है;
- (ख) क्या निधि कंपनी ने दायित्व को पूरा करने के लिए निधि नियम, 2014 में यथा विनिर्दिष्ट दस प्रतिशत भारमुक्त सावधि जमाओं का रखरखाव किया है;
- (ग) क्या किसी अवधि के दौरान जमाओं या उसके पुनर्भुगतान पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक की है और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा;
- (xiii) क्या सभी संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार कंपनी अधिनियम की धारा 177 और धारा 188 जहां लागू है, के अनुसार अनुपालन हो रहा है और लागू लेखा मानकों जहां आवश्यक हो, को वित्तीय विवरणों में प्रकट कर दिया गया है जैसा कि लेखा मानकों में अपेक्षित है।
- (xiv) (क) क्या कंपनी के पास अपने कारबार के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र है;
- (ख) लेखापरीक्षाधीन अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा विचार किया गया था;
- (xv) क्या कंपनी निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर धन संव्यवहार किया है यदि ऐसा है तो क्या कंपनी अधिनियम की धारा 192 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।
- (xvi) (क) क्या कंपनी का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-झक के अधीन रजिस्ट्रीकृत होना अपेक्षित है और यदि हां, क्या रजिस्ट्रीकरण प्राप्त कर लिया गया है;
- (ख) क्या कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से किसी वैध रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) के बिना कोई गैर-बैंककारी वित्तीय या हाउसिंग वित्त कार्यक्रमलाप संचालित किए हैं;
- (ग) क्या कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में यथापरिभाषित एक कोर इंवेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) है, यदि हां, क्या वह एक सीआईसी के मानकों को पूरा करना जारी रखती है, और यदि कंपनी सीआईसी से छूट प्राप्त या गैर-रजिस्ट्रीकृत है, क्या यह ऐसे मानदंडों को पूरा रखना जारी रखती है;
- (घ) क्या समूह के पास समूहों के भाग के रूप में एक से अधिक सीआईसी हैं, यदि हां, तो सीआईसी की संख्या जो समूहों के भाग हैं, निर्दिष्ट करें;
- (xvii) क्या कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकदी क्षतियां उठाई हैं, यदि हां, तो नकद क्षति की धनराशि का उल्लेख करें;
- (xviii) क्या वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र आया है, यदि हां, तो क्या लेखापरीक्षक ने पद छोड़ने वाले लेखापरीक्षकों द्वारा उठाए गए मुद्दों, आपत्तियों, या सरोकारों पर विचार किया है;
- (xix) वित्तीय अनुपातों, आयु और वित्तीय आस्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देयताओं के भुगतान की संभावित तारीख, वित्तीय विवरणियों के साथ संलग्न अन्य सूचना, निदेशक बोर्ड और प्रबंधन योजनाओं का लेखापरीक्षक के ज्ञान के आधार पर, क्या लेखापरीक्षक की यह राय है कि लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख को कोई तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान नहीं है, जो कंपनी को तुलन पत्र की तारीख पर अपनी मौजूदा देयताओं को पूरा करने में सक्षम है, जैसे ही और जब कभी वे तुलनपत्र तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होते हैं;
- (xx) (क) क्या चालू परियोजनाओं के भिन्न के संबंध में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि को उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह की अवधि के भीतर अप्रयुक्त धनराशि अंतरित कर दी है;
- (ख) क्या कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के अधीन शेष अप्रयुक्त कोई धनराशि, किसी चालू परियोजना के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6) के उपबंध के अनुसरण में विशेष खाते में अंतरित कर दी गई है;

(xxi) क्या संचयी वित्तीय विवरणियों में शामिल कंपनियों की कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश (सीएआरओ) रिपोर्टों में संबंधित लेखापरीक्षकों द्वारा कोई अर्हताएं या प्रतिकूल टिप्पणियां की गई हैं, यदि हां, तो कंपनियों तथा अर्हताएं या प्रतिकूल टिप्पणियों वाली सीएआरओ रिपोर्ट की पैरा संख्याओं का ब्यौरा निर्दिष्ट करें।

**4. प्रतिकूल या सापेक्ष उत्तरों के लिए कारण दिया जाना.-**

(1) जहां लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में पैरा 3 में निर्दिष्ट किसी भी प्रश्न का उत्तर प्रतिकूल या सापेक्ष है वहां लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ऐसा यथास्थिति प्रतिकूल या सापेक्ष उत्तर का आधार कथन देना भी होगा।

(2) जहां लेखापरीक्षक किसी विनिर्दिष्ट मामले पर राय व्यक्त करने में असमर्थ है वहां उसकी रिपोर्ट में ऐसे तथ्य के साथ वे कारण भी दर्शाने होंगे कि ऐसी राय दर्शित करना उसके लिए संभव क्यों नहीं है।

[फा. सं. 17/45/2015-सीएल.-V पार्ट I]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**

**ORDER**

New Delhi, the 25th February, 2020

**S.O. 849(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013 ) and in supersession of the Companies (Auditor's Report) Order, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1228 (E), dated the 29<sup>th</sup> March, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consultation with the National Financial Reporting Authority constituted under section 132 of the Companies Act, 2013, hereby makes the following Order, namely:—

**1. Short title, application and commencement.**—(1) This Order may be called the Companies (Auditor's Report) Order, 2020.

(2) It shall apply to every company including a foreign company as defined in clause (42) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) [hereinafter referred to as the Companies Act], except—

- (i) a banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949);
- (ii) an insurance company as defined under the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);
- (iii) a company licensed to operate under section 8 of the Companies Act;
- (iv) a One Person Company as defined in clause (62) of section 2 of the Companies Act and a small company as defined in clause (85) of section 2 of the Companies Act; and
- (v) a private limited company, not being a subsidiary or holding company of a public company, having a paid up capital and reserves and surplus not more than one crore rupees as on the balance sheet date and which does not have total borrowings exceeding one crore rupees from any bank or financial institution at any point of time during the financial year and which does not have a total revenue as disclosed in Scheduled III to the Companies Act (including revenue from discontinuing operations) exceeding ten crore rupees during the financial year as per the financial statements.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

**2. Auditor's report to contain matters specified in paragraphs 3 and 4.** - Every report made by the auditor under section 143 of the Companies Act on the accounts of every company audited by him, to which this Order applies, for the financial years commencing on or after the 1st April, 2019, shall in addition, contain the matters specified in paragraphs 3 and 4, as may be applicable:

Provided this Order shall not apply to the auditor's report on consolidated financial statements except clause (xxi) of paragraph 3.

**3. Matters to be included in auditor's report.** - The auditor's report on the accounts of a company to which this Order applies shall include a statement on the following matters, namely:-

(i) (a) (A) whether the company is maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment;

(B) whether the company is maintaining proper records showing full particulars of intangible assets;

(b) whether these Property, Plant and Equipment have been physically verified by the management at reasonable intervals; whether any material discrepancies were noticed on such verification and if so, whether the same have been properly dealt with in the books of account;

(c) whether the title deeds of all the immovable properties (other than properties where the company is the lessee and the lease agreements are duly executed in favour of the lessee) disclosed in the financial statements are held in the name of the company, if not, provide the details thereof in the format below:-

| Description of property | Gross carrying value | Held in name of | Whether promoter, director or their relative or employee | Period held – indicate range, where appropriate | Reason for not being held in name of company* |
|-------------------------|----------------------|-----------------|--|---|---|
| -                       | --                   | -               | -  | -   | *also indicate if in dispute                  |

(d) whether the company has revalued its Property, Plant and Equipment (including Right of Use assets) or intangible assets or both during the year and, if so, whether the revaluation is based on the valuation by a Registered Valuer; specify the amount of change, if change is 10% or more in the aggregate of the net carrying value of each class of Property, Plant and Equipment or intangible assets;

(e) whether any proceedings have been initiated or are pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder, if so, whether the company has appropriately disclosed the details in its financial statements;

(ii) (a) whether physical verification of inventory has been conducted at reasonable intervals by the management and whether, in the opinion of the auditor, the coverage and procedure of such verification by the management is appropriate; whether any discrepancies of 10% or more in the aggregate for each class of inventory were noticed and if so, whether they have been properly dealt with in the books of account;

(b) whether during any point of time of the year, the company has been sanctioned working capital limits in excess of five crore rupees, in aggregate, from banks or financial institutions on the basis of security of current assets; whether the quarterly returns or statements filed by the company with such banks or financial institutions are in agreement with the books of account of the Company, if not, give details;

(iii) whether during the year the company has made investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties, if so,-

(a) whether during the year the company has provided loans or provided advances in the nature of loans, or stood guarantee, or provided security to any other entity [not applicable to companies whose principal business is to give loans], if so, indicate-

(A) the aggregate amount during the year, and balance outstanding at the balance sheet date with respect to such loans or advances and guarantees or security to subsidiaries, joint ventures and associates;

(B) the aggregate amount during the year, and balance outstanding at the balance sheet date with respect to such loans or advances and guarantees or security to parties other than subsidiaries, joint ventures and associates;

- (b) whether the investments made, guarantees provided, security given and the terms and conditions of the grant of all loans and advances in the nature of loans and guarantees provided are not prejudicial to the company's interest;
- (c) in respect of loans and advances in the nature of loans, whether the schedule of repayment of principal and payment of interest has been stipulated and whether the repayments or receipts are regular;
- (d) if the amount is overdue, state the total amount overdue for more than ninety days, and whether reasonable steps have been taken by the company for recovery of the principal and interest;
- (e) whether any loan or advance in the nature of loan granted which has fallen due during the year, has been renewed or extended or fresh loans granted to settle the overdues of existing loans given to the same parties, if so, specify the aggregate amount of such dues renewed or extended or settled by fresh loans and the percentage of the aggregate to the total loans or advances in the nature of loans granted during the year [not applicable to companies whose principal business is to give loans];
- (f) whether the company has granted any loans or advances in the nature of loans either repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment, if so, specify the aggregate amount, percentage thereof to the total loans granted, aggregate amount of loans granted to Promoters, related parties as defined in clause (76) of section 2 of the Companies Act, 2013;
- (iv) in respect of loans, investments, guarantees, and security, whether provisions of sections 185 and 186 of the Companies Act have been complied with, if not, provide the details thereof;
- (v) in respect of deposits accepted by the company or amounts which are deemed to be deposits, whether the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act and the rules made thereunder, where applicable, have been complied with, if not, the nature of such contraventions be stated; if an order has been passed by Company Law Board or National Company Law Tribunal or Reserve Bank of India or any court or any other tribunal, whether the same has been complied with or not;
- (vi) whether maintenance of cost records has been specified by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act and whether such accounts and records have been so made and maintained;
- (vii) (a) whether the company is regular in depositing undisputed statutory dues including Goods and Services Tax, provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues to the appropriate authorities and if not, the extent of the arrears of outstanding statutory dues as on the last day of the financial year concerned for a period of more than six months from the date they became payable, shall be indicated;
- (b) where statutory dues referred to in sub-clause (a) have not been deposited on account of any dispute, then the amounts involved and the forum where dispute is pending shall be mentioned (a mere representation to the concerned Department shall not be treated as a dispute);
- (viii) whether any transactions not recorded in the books of account have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), if so, whether the previously unrecorded income has been properly recorded in the books of account during the year;
- (ix) (a) whether the company has defaulted in repayment of loans or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender, if yes, the period and the amount of default to be reported as per the format below:-

| Nature of borrowing, including debt securities | Name of lender*  | Amount not paid on due date | Whether principal or interest | No. of days delay or unpaid | Remarks, if any |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|  | *lender wise details to be provided in case of defaults to banks, financial institutions and Government. |                             |                               |                             |                 |

- (b) whether the company is a declared wilful defaulter by any bank or financial institution or other lender;
- (c) whether term loans were applied for the purpose for which the loans were obtained; if not, the amount of loan so diverted and the purpose for which it is used may be reported;
- (d) whether funds raised on short term basis have been utilised for long term purposes, if yes, the nature and amount to be indicated;
- (e) whether the company has taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries, associates or joint ventures, if so, details thereof with nature of such transactions and the amount in each case;
- (f) whether the company has raised loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiaries, joint ventures or associate companies, if so, give details thereof and also report if the company has defaulted in repayment of such loans raised;
- (x) (a) whether moneys raised by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year were applied for the purposes for which those are raised, if not, the details together with delays or default and subsequent rectification, if any, as may be applicable, be reported;
- (b) whether the company has made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully, partially or optionally convertible) during the year and if so, whether the requirements of section 42 and section 62 of the Companies Act, 2013 have been complied with and the funds raised have been used for the purposes for which the funds were raised, if not, provide details in respect of amount involved and nature of non-compliance;
- (xi) (a) whether any fraud by the company or any fraud on the company has been noticed or reported during the year, if yes, the nature and the amount involved is to be indicated;
- (b) whether any report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed by the auditors in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government;
- (c) whether the auditor has considered whistle-blower complaints, if any, received during the year by the company;
- (xii) (a) whether the Nidhi Company has complied with the Net Owned Funds to Deposits in the ratio of 1: 20 to meet out the liability;
- (b) whether the Nidhi Company is maintaining ten per cent. unencumbered term deposits as specified in the Nidhi Rules, 2014 to meet out the liability;
- (c) whether there has been any default in payment of interest on deposits or repayment thereof for any period and if so, the details thereof;
- (xiii) whether all transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of Companies Act where applicable and the details have been disclosed in the financial statements, etc., as required by the applicable accounting standards;
- (xiv) (a) whether the company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business;
- (b) whether the reports of the Internal Auditors for the period under audit were considered by the statutory auditor;
- (xv) whether the company has entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him and if so, whether the provisions of section 192 of Companies Act have been complied with;
- (xvi) (a) whether the company is required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and if so, whether the registration has been obtained;

- (b) whether the company has conducted any Non-Banking Financial or Housing Finance activities without a valid Certificate of Registration (CoR) from the Reserve Bank of India as per the Reserve Bank of India Act, 1934;
- (c) whether the company is a Core Investment Company (CIC) as defined in the regulations made by the Reserve Bank of India, if so, whether it continues to fulfil the criteria of a CIC, and in case the company is an exempted or unregistered CIC, whether it continues to fulfil such criteria;
- (d) whether the Group has more than one CIC as part of the Group, if yes, indicate the number of CICs which are part of the Group;
- (xvii) whether the company has incurred cash losses in the financial year and in the immediately preceding financial year, if so, state the amount of cash losses;
- (xviii) whether there has been any resignation of the statutory auditors during the year, if so, whether the auditor has taken into consideration the issues, objections or concerns raised by the outgoing auditors;
- (xix) on the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realisation of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, the auditor's knowledge of the Board of Directors and management plans, whether the auditor is of the opinion that no material uncertainty exists as on the date of the audit report that company is capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date;
- (xx) (a) whether, in respect of other than ongoing projects, the company has transferred unspent amount to a Fund specified in Schedule VII to the Companies Act within a period of six months of the expiry of the financial year in compliance with second proviso to sub-section (5) of section 135 of the said Act;
- (b) whether any amount remaining unspent under sub-section (5) of section 135 of the Companies Act, pursuant to any ongoing project, has been transferred to special account in compliance with the provision of sub-section (6) of section 135 of the said Act;
- (xxi) whether there have been any qualifications or adverse remarks by the respective auditors in the Companies (Auditor's Report) Order (CARO) reports of the companies included in the consolidated financial statements, if yes, indicate the details of the companies and the paragraph numbers of the CARO report containing the qualifications or adverse remarks.

**4. Reasons to be stated for unfavourable or qualified answers.-** (1) Where, in the auditor's report, the answer to any of the questions referred to in paragraph 3 is unfavourable or qualified, the auditor's report shall also state the basis for such unfavourable or qualified answer, as the case may be.

(2) Where the auditor is unable to express any opinion on any specified matter, his report shall indicate such fact together with the reasons as to why it is not possible for him to give his opinion on the same.

[F. No. 17/45/2015-CL-V Part I]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.